



# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर, 30प्र0-272202

Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांक: 947 / सि0वि0वि0 / 2026

दिनांक- 23/10/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारणी के अनुसार पोर्टल खोलने एवं समय-सारणी को वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण, के पत्रांक-2602/स0क0/शिक्षा-अ/8/सी0एन0-1319383/2026-27 दिनांक-22.10.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्राप्त है।

सूच्य है कि अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस) का विवरण अंकित करते हुए मास्टर डाटा लॉक करने सम्बन्धी कार्य महाविद्यालय के अनुमोदित प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य अथवा शिक्षक से ही छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कराना सुनिश्चित करें, किन्तु किसी महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य अथवा शिक्षक के अलावा किसी अन्य से छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित किया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

तदक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति ।

भवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक

निदेशक,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0),  
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य ईकाई,  
योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक (1-2602) /स0क0/शिक्षा-अ/8/C.N.-1319383/2026-27

लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी के अनुसार पोर्टल खोलने एवं समय-सारिणी को वेबसाइट पर अपलोड करने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-91/2026/1941/26-3-2026-1741061 दिनांक 20-07-2026 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- शासन के पत्र संख्या- 2383/26-3-2026-1741061 दिनांक 08-09-2026, जोकि आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा किसी अपरिहार्य अथवा तकनीकी या अन्य कारण से समय-सारिणी में वर्णित गतिविधि के विषय में पोर्टल पर कार्यवाही हेतु यदि कोई संशोधन अथवा समयावधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उक्त विषयगत कार्यवाही के लिये समस्त अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है। निदेशालय पत्रांक-सी- 2010 दिनांक 01-09-2026 एवं पत्रांक-सी-2229 दिनांक 16-09-2026 द्वारा संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

3- अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक- 5050-52 दिनांक 17-10-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ( कक्षा 11-12 को छोड़कर ) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा लॉक करते समय शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के सर्टिफिकेट जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है। तत्क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरांत उक्त विषयगत कार्यवाही के लिये समय-सारिणी की तिथि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त कतियप जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा तकनीकी समस्याओं एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा त्रुटिवश मास्टर डाटा में गत वर्ष से भिन्न पाठ्यक्रम के चयन किये जाने से अवगत कराते हुये संशोधन की कार्यवाही हेतु समय-सारिणी की तिथि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर राजकीय, अनुदानित व निजी एवं बाह्य प्रदेशों में संचालित राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु संशोधित समय सारिणी निम्नवत है:-

| क्र०        | प्रक्रियात्मक कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समयावधि                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                    |
| मास्टर डाटा |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 1           | <p><b>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।</b></p> <p>प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p> | 23 अक्टूबर 2026 से 05 नवम्बर 2026 तक |
| 2           | <p><b>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</b></p> <p>प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 अक्टूबर 2026 से 07 नवम्बर 2026 तक |
| 3           | <p><b>मास्टर डाटा का सत्यापन</b></p> <p>समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लाक किया जायेगा।</p> <p>राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लाक की गयी सीमा के अर्धे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                     | 23 अक्टूबर 2026 से 10 नवम्बर 2026 तक |
| 4           | <p><b>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना।</b></p> <p>मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 अक्टूबर 2026 से 10 नवम्बर 2026    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| <b>उच्च कक्षाओं ( कक्षा 12 से उच्चतर ) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण ( Renewal ) के छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया ।</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 1                                                                                                                                               | छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्डकापी संस्थान में जमा करना ।                                                                                                                                                                                                               | 23 अक्टूबर 2026 से 13 नवम्बर 2026 तक  |
| 2                                                                                                                                               | शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणित करना, प्रामांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित कर अग्रसारित करना                                                                                             | 15 सितम्बर 2026 से 15 नवम्बर 2026 तक  |
| 3                                                                                                                                               | विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। | 15 सितम्बर 2026 से 18 नवम्बर 2026 तक  |
| 4                                                                                                                                               | <u>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी</u><br>PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।                                                                                          | 06 नवम्बर 2026 से 21 नवम्बर 2026 तक   |
| <b>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा ( त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही )</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 5                                                                                                                                               | <u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u><br>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।     | 22 नवम्बर 2026 से 02 दिसम्बर 2026 तक  |
| 6                                                                                                                                               | <u>मांग सृजन</u><br>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।                                                                                                | 03 दिसम्बर 2026 से 06 दिसम्बर 2026 तक |
| 7                                                                                                                                               | <u>धनराशि का अन्तरण</u><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।                                                                                                            | 07 दिसम्बर 2026 से 11 दिसम्बर 2026 तक |
| <b>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 8                                                                                                                                               | <u>एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण</u>                                                                                                                                                                                                                              | 22 नवम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                               | <u>डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 9                                                                                                                                             | <u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</u><br>सन्देशरूपद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाता। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।                                                                                                                       | 21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक |
| 10                                                                                                                                            | <u>सन्देशरूपद डाटा पर वास्तविक सत्यापन के आधार पर त्रुटिरहित डाटा के विषय में जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति एवं निर्णय के क्रम में इस प्रकार विनिश्चित किये गए पात्र डाटा को विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाना</u>                                                                    | 1 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक      |
| 11                                                                                                                                            | <u>मांग सृजन</u><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई से मांग सृजित कराना।                                                                                                                                                                  | 11 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक     |
| 12                                                                                                                                            | <u>धनराशि का अन्तरण</u><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किये जाने की कार्यवाही।                                                                                                                     | 16 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक     |
| <b>उच्च कक्षाओं ( कक्षा 12 से उच्चतर ) दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन (Fresh) के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया।</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| 1                                                                                                                                             | <u>नवीन (Fresh) छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन /आनलाइन आवेदन करना</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 15 सितम्बर 2026 से 13 नवम्बर 2026 तक  |
| 2                                                                                                                                             | <u>छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना</u>                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 सितम्बर 2026 से 15 नवम्बर 2026 तक  |
| 3                                                                                                                                             | <u>हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना</u><br>नवीन (Fresh) छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।                                                                             | 16 सितम्बर 2026 से 16 नवम्बर 2026 तक  |
| 4                                                                                                                                             | <u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u><br>छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।                                                                 | 16 सितम्बर 2026 से 17 नवम्बर 2026 तक  |
| 5                                                                                                                                             | <u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u><br>सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। | 16 सितम्बर 2026 से 25 नवम्बर 2026 तक  |
| 6                                                                                                                                             | <u>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 नवम्बर 2026 से 05 दिसम्बर 2026 तक  |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                              | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा को एन0आई0सी0की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।                                                                                                                          |                                       |
| <b>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा (त्रुटिरहित के संबंध में कार्यवाही)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 7                                                                                            | <u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u><br>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डाटा के सम्बन्ध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। | 06 दिसम्बर 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक |
| 8                                                                                            | <u>मांग सृजन</u><br>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा को छोड़ कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।                                                                                            | 16 दिसम्बर 2026 से 20 दिसम्बर 2026 तक |
| 9                                                                                            | <u>धनराशि का अन्तरण</u><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किये जाने की कार्यवाही।                                                                                                        | 21 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक |
| <b>एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी में पाए गए संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण डाटा हेतु कार्यवाही</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| 10                                                                                           | <u>संदेहास्पद /त्रुटिपूर्ण डाटा का वार्षिक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटिरहित किए जाने हेतु समयावधि</u>                                                                                                                                                                                | 6 दिसम्बर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक  |
| 11                                                                                           | <u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</u><br>त्रुटिरहित किये गए सही किये गये संदेहास्पद डाटा को सही एवं सत्यापनोपरान्त एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।                                                  | 01 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 तक     |
| 12                                                                                           | <u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u><br>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।                                         | 11 जनवरी 2027 से 20 जनवरी 2027 तक     |
| 13                                                                                           | <u>मांग सृजन</u><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।                                                                                                                                                    | 21 जनवरी 2027 से 25 जनवरी 2027 तक     |

|                                                                                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14 धनराशि का अन्तरण</b><br>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना। | 27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक की कार्यवाही। संस्था, सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
2. समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही संस्था द्वारा छात्रों के नवीनीकरण आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही की जायेगी।
3. उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) का परीक्षाफल न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number) व उपस्थिति को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लागिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
7. किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
8. मण्डल स्तर से छात्र/छात्रों का डाटा ब्लॉक (नवीनीकरण होने पर) करने पर उक्त डाटा को ब्लॉक के साथ मांग (Demand Data) से भी ब्लॉक कर दिया जाए ताकि किसी छात्र/छात्रा का दोहरा भुगतान न होने पाए।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार पोर्टल खोलने एवं समय-सारिणी को अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by  
SANJEEV SINGH

Date: 22-10-2026  
15:09:26

(संजीव सिंह)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3।
- 2- निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ जनजाति विकास विभाग।
- 3- समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by  
ANAND KUMAR SINGH  
Date: 22-10-2026  
15:16:40

(आनन्द कुमार सिंह)  
उप निदेशक